UPFR010059362019

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–02/

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट) फर्रूखाबाद।

पीठासीनः– तरूण कुमार सिंह प्रथम..................................एच०जे०एस० UP6264

विशेष सत्र परीक्षण संख्या– 14/2019

बबलू पुत्र रामचन्द्र, **निवासी–** मो० बीबीगंज महरवान, थाना मऊदरवाजा, जनपद फर्रुखाबाद।

----------- परिवादी

बनाम

1. **कुलदीप** पुत्र श्रीपाल, उम्र लगभग 25 वर्ष,
2. **जयदीप** पुत्र श्रीपाल, उम्र लगभग 22 वर्ष,
3. **श्रीपाल** पुत्र स्व० माखन, उम्र लगभग 55 वर्ष,
4. **सोनेलाल** पुत्र स्व० मातादीन, उम्र लगभग 50 वर्ष,

निवासीगण– मो० बीबीगंज महरवान, थाना मऊदरवाजा, जनपद फर्रुखाबाद।

----------- अभियुक्तगण

धारा–**323/34, 452, 506 भा०दं०सं०**

व धारा **3(1)(द) एस.सी./एस.टी.एक्ट**

थाना– **मऊदरवाजा**

जिला– **फर्रूखाबाद**

निर्णय

1. अभियुक्तगण कुलदीप, जयदीप, श्रीपाल एवं सोनेलाल का मुकदमा धारा 323/34, 452, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(द) एस.सी./एस.टी.एक्ट, थाना मऊदरवाजा, जनपद फर्रूखाबाद के अन्तर्गत परिवाद के आधार पर विचारण सत्र वाद के रुप में प्रारम्भ हुआ।

परिवाद पत्र में नामित अभियुक्त सत्यनाथ फरार होने के कारण उसकी पत्रावली मूल पत्रावली से पृथक की गयी है।

2. प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी बबलू द्वारा न्यायालय में परिवाद अभियुक्तगण सत्यनाथ, कुलदीप, जयदीप, श्रीपाल एवं सोनेलाल के विरुद्व दिनांक 12.01.2018 को संस्थित किया गया।

परिवादी बबलू का धारा 200 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत बयान दर्ज हुआ। तदुपरान्त दं.प्र.सं. की धारा 202 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत **पी.डब्लू. 1** के रुप में साक्षी उधन सिंह, **पी.डब्लू. 2** के रुप में साक्षी सर्वेश कुमार का बयान दर्ज हुआ। इन बयानों के दर्ज होने के उपरान्त न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण सत्यनाथ, कुलदीप, जयदीप, श्रीपाल एवं सोनेलाल को धारा 323, 452,

Digitally signed by TARUN KUMAR SINGH
Date: 2026.07.02 15:03:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(10) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 23.01.2019 को तलब किया गया। इस तलबी आदेश के उपरान्त अभियुक्तगण का विचारण प्रारम्भ हुआ।

3. परिवादी बबलू ने दिनांक 12.01.2018 को परिवाद पत्र **प्रदर्श क– 1** इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थी बबलू दिवाकर की शादी करीब तीन वर्ष पूर्व हिन्दू रीति–रिवाज से सुमन पुत्री उदयवीर के साथ हुई थी। यह शादी सत्यनाथ (मझैया) ने करवायी थी। शादी के तुरन्त बाद से ही सत्यनाथ प्रार्थी के घर बार–बार प्रार्थी के सामने व प्रार्थी के पीछे आने लगा। शादी के बाद भी सत्यनाथ ही चौथी चलाने आया और सुमन को अपने साथ ले गया। उसके बाद जब प्रार्थी ने सुमन के पिता से सुमन को वापस भेजने को कहा तो पता चला कि सुमन अपने घर पर नहीं है। शक होने पर पता किया तो पता चला कि सत्यनाथ और सुमन के नाजायज सम्बन्ध है। प्रार्थी ने सत्यनाथ व सुमन को रंगे हाथों भी पकड़ा। तब प्रार्थी मानसिक रूप से बहुत आहत हुआ और सुमन को वहीं छोड़कर वापस आ गया। तब से सत्यनाथ व सुमन एवं इनके साथी प्रार्थी को आये दिन तरह–तरह से परेशान व प्रताड़ित करते रहते है। दिनांक 07.12.2017 को समय करीब पाँच बजे शाम जब प्रार्थी अपने दरवाजे बकरी की सानी कर रहा था। तब सत्यनाथ अपने साथी कुलदीप एवं जयदीप, श्रीपाल एवं सोनेलाल के साथ आया और प्रार्थी व उसकी माँ को गन्दी–गन्दी गालियां देने लगे और जातिसूचक शब्द बोलने लगे। जब प्रार्थी ने मना किया तो कहा कि मारो साले धोबिट्टे को साला बहुत नेता बन रहा है और सारे लोग प्रार्थी को मारने के लिए लपके। किसी तरह जान बचाकर प्रार्थी घर में घुस गया, लेकिन कुण्डी लगाने से पहले अभियुक्तगण भी प्रार्थी को धक्का देकर अन्दर आ गये और प्रार्थी एवं उसकी बूढ़ी माँ को लात–घूसों से एवं डण्डों से मारने लगे एवं कट्टा निकाल लिया और कहा कि अगर शोर मचाया तो जान से मार देगें। इतने में मोहल्ले के लोग इकट्ठे होने लगे जिनके ललकारने पर अभियुक्तगण ने प्रार्थी व उसकी माँ को मारना बन्द किया और जाते समय कहा कि अगर रिपोर्ट लिखायी तो धोबिट्टे को देख लेगें और जान से मारने की धमकियां दी। थाने पर प्रार्थी की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी।

4. अभियुक्तगण कुलदीप, जयदीप, श्रीपाल एवं सोनेलाल यादव वर्तमान में जमानत पर है।

5. पूर्व पीठासीन अधिकारी के द्वारा अभियुक्तगण सत्यनाथ, कुलदीप, जयदीप, श्रीपाल एवं सोनेलाल यादव के विरुद्ध गुण–दोष पर सुनने के उपरान्त धारा 323/34, 452, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(10) यथासंशोधित धारा 3(1)(द) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 24.09.2021 को आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा इन आरोपों से इन्कार किया गया तथा विचारण किए जाने की माँग की गई।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने वाद को साबित करने के लिए इस मामले से सम्बन्धित साक्षीगण को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। जो इस प्रकार है–

क्रम संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
पी.डब्लू – 1	बबलू	परिवादी
पी.डब्लू – 2	ऊदन सिंह	परिवादी का पड़ोसी एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
पी.डब्लू – 3	सर्वेश कुमार	परिवादी का पड़ोसी एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

इन साक्षियों के अलावा अभियोजन पक्ष की तरफ से कोई अन्य साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया।

7. अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत इन साक्षियों द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया है जिसके आधार प्रदर्श डाले गए जो इस प्रकार है –

प्रदर्श	विवरण	साक्षी
प्रदर्श क–1	परिवाद पत्र	पी.डब्लू. 1 बबलू

इसके अतिरिक्त अभियोजन की तरफ से अन्य किसी प्रपत्र को साक्षियो द्वारा साबित नहीं कराया गया।

8. अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत साक्षी **पी.डब्लू. 1 बबलू,** जो परिवादी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं अनुसूचित जाति का धोबी हूं। मेरी पत्नी का नाम सुमन है। मेरी शादी को हुए सात वर्ष हो गये है। मेरी शादी बाबा सत्यनाथ, कुलदीप, जयदीप, शिवपाल और सोनेलाल ने करवायी थी। शादी के बाद बाबा सत्यनाथ ही विदा कराने चौथी में आये थे तथा मेरी पत्नी को साथ ले गये थे जब मैं अपनी सुमन को विदा कराने ससुराल गया तो देखा कि बाबा सत्यनाथ और मेरी पत्नी सुमन के बीच नाजायज संबंध है दोनो को रंगे हाथो पकड़ा और वापस अपने घर आ गया। बाबा सत्यनाथ सुमन को वापस मेरे घर रखने का दबाव मुझ पर बनाते रहे परन्तु मैंने सुमन को वापस अपने घर पर नहीं रखा इसी के चलते दिनांक 07.12.17 को शाम पांच बजे मैं अपनी बकरियों को सानी लगा रहा था तभी अचानक बाबा सत्यनाथ, शिवपाल, कुलदीप व जयदीप, सोनेलाल आये, आते ही मुझे सभी लोग गंदी–गंदी गाली देने लगे, मां बहन की गाली देते हुए बोले साले धुबेटे बहुत बड़ा नेता बना घूमता है और सभी लोग मुझे मारने लगे। मैं जान बचाकर घर के अन्दर भागा तो यह सभी लोग मेरे घर के अन्दर आकर मुझे मारने पीटने लगे। मेरी मां श्रीमती रामबेटी मुझे बचाने आयी तो सभी लोगो ने उन्हे भी मारा पीटा मोहल्ले के काफी लोग आ गये थे तब सब लोग जाते–जाते बोले कि अगर रिपोर्ट लिखाई तो जान से मार देगे घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना मऊदरवाजा गया था, परन्तु मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी थी। घटना की सूचना मैने डाक से पुलिस कप्तान को भेजी गयी फिर

भी मेरी उस पर कोई कार्यवाही नही हुई थी। फिर मैनें वकील साहब के माध्यम से अदालत में मुकदमा किया था आज पत्रावली में दाखिल कागज सं० 3A/1 व 3A/2 को देखकर साक्षी ने कहा कि इन प्रपत्रों में मेरी फोटो लगी है जिस पर मेरा निशानी अंगूठा लगा है जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। साक्षी ने कहा कि यह मुकदमा मैनें बोलकर–बोलकर अपने वकील साहब से टाइप कराया था और वकील साहब द्वारा पढ़कर सुनाने पर मैने अपनी निशानी अंगूठा लगाया था, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। इस मुकदमें में जज साहब ने मेरा बयान लिया था। साक्षी को उसका 200 दं.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह मेरे बयान है, जिसे जज साहब ने मुझसे पूछकर लिखा था तथा मेरा निशान अंगूठा बनाया था, जिसकी मैं पुष्टि करता है।

9. **पी.डब्लू. 2 ऊदन सिंह**, जो परिवादी का पड़ोसी एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि मैं लोधी जाति का हूं। मैं खेती का कार्य करता हूं। मैं पढ़ा लिखा हूं। कक्षा दस फेल हूं। मेरे घर के पास रहने वाला बबलू धोबी की शादी सत्यनाथ ने कराई थी। शादी में मैं भी गया था। शादी के बाद सत्यनाथ बबलू की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी सुमन से मिलने आया जाया करता था और आज से पांच साल पहले की बात है दिसम्बर का महीना था समय शाम पांच बजे का था मैं घर पर था बबलू धोबी अपनी बकरियों की सानी लगा रहा था। तभी सत्यनाथ, कुलदीप, जयदीप, श्रीपाल एवं सोनेलाल आये और आते ही बबलू को मां बहन की गन्दी गन्दी गालिया देने लगे और बोले साले धुबेटा आज तुझे सही कर देगे और उसे मारने दौड़े बबलू दौडकर घर के अन्दर घुस गया। सत्यनाथ के हाथ में तमंचा था तथा बाकी लोगो के हाथ में लाठी डंडे थे और बबलू को घर में घुसकर लात–घूसो से मारने लगे। मैं और मोहल्ले के जावेद व अन्य लोग बबलू को बचाने गये। बबलू की मां बबलू को बचाने दौडी तो बबलू की मां रामबेटी के साथ थी। सभी लोगो ने मारपीट की बड़ी मुश्किल से हम लोगों के आने पर पांचो लोगो ने बबलू को छोडा और जाते–जाते धमकी देते हुए गये अगर कोई लिखा–पढ़ी हम लोगों के खिलाफ पुलिस में की तो तुम्हे जान से मार देगे। घटना की रिपोर्ट लिखाने बबलू थाना मऊदरवाजा गया था, वहां रिपोर्ट नहीं लिखी गयी थी फिर अदालत से मुकदमा किया था। अदालत में मेरा भी बयान हुआ था। साक्षी को का०सं० 7A 202 दं०प्र०सं० के बयान पढ़कर सुनाये और दिखाये तो साक्षी ने कहा कि यह मेरे बयान है तथा कागज पर फोटो व फोटो पर लगा निशानी अंगूठा मेरा है और उस पर मेरे हस्ताक्षर है जिनकी मैं पुष्टि करता हूं।

10. **पी.डब्लू 3 सर्वेश कुमार,** जो परिवादी का पड़ोसी एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बबलू की शादी हिन्दू रीति रिवाज से सुमन पुत्री उदयवीर के साथ सत्यनाथ ने कराई थी। मझिया सत्यनाथ थे। सुमन के पहले से ही नाजायज संबंध थे जो बाद में सत्यनाथ के साथ चली गयी थी। दिनांक 07.12.2017 को जब मैं बबलू के घर के सामने चाय के होटल पर बैठा था। समय करीब 5–5:30 बजे शाम का समय था बबलू अपनी

बकरी को चारा डाल रहा था तभी सत्यनाथ, कुलदीप, जयदीप, सोनेलाल, श्रीपाल ने बबलू के साथ मारपीट जातिसूचक गाली गलौज शुरू कर दिया बबलू के विरोध करने पर यह लोग मारपीट करने लगे। बबलू जब घर में भागा तो घर में घुस गये तथा उसकी बूढ़ी मां के साथ भी लात–घूसे डंडो से मारपीट की। शोर मचाने पर मैं भी मौके पर अन्य लोगो के साथ पहुंचा तो अभियुक्तगण गाली गलौज करते हुए चले गये और कहा कि साले धुबैटा कही शिकायत की तो जान से मार देगे। मेरा न्यायालय में बयान भी हुआ था।

11. अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्तगण कुलदीप, जयदीप, श्रीपाल एवं सोनेलाल यादव का धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत दिनांक 17.02.2024 को न्यायालय द्वारा बयान दर्ज किया गया। जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक व अभियोजन साक्षियों के द्वारा दिये गये साक्ष्य को गलत बताया है। **सभी अभियुक्तगण** ने अपने अतिरिक्त कथन में कहा है कि मुकदमा वादी बबलू का उसकी पूर्व पत्नी से मुकदमेबाजी चल रही थी, जिसमें मुझसे गवाही के लिए कहा था। मना कर देने पर यह झूठा मुकदमा किया गया है। अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया है, परन्तु कोई सफाई साक्ष्य दाखिल नहीं किया है।

12. उभयपक्ष के साक्ष्य के उपरान्त यह पत्रावली बहस हेतु नियत कर दी गयी।

13. मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की विद्वतापूर्ण बहस एवं उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

14. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बहस दौरान यह तर्क दिया गया है कि घटना दिनांक 07.12.2017 की समय करीब पाँच बजे शाम की है। वादीमुकदमा अपने दरवाजे पर बकरी की सानी कर रहा था। तभी अभियुक्तगण आकर वादीमुकदमा को जातिसूचक गालियां देने लगे। विरोध करने पर वादीमुकदमा के घर में घुसकर वादीमुकदमा व उसकी माँ को लात–घूसों से एवं डण्डों से मारने लगे। मोहल्ले वालों के ललकारने पर अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। न्यायालय द्वारा स्वयं प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए अभियुक्तगण को सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत तलब किया गया है। अभियोजन साक्षीगण ग्रामीण परिवेश के है, इसलिए उनके साक्ष्य में थोड़ा–बहुत विरोधाभास होना स्वाभाविक है। अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन कथानक को पूर्णतया साबित किया है। अतः अभियुक्तगण आरोपित धाराओं के अन्तर्गत दोषसिद्ध होने योग्य है।

15. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दौरान बहस यह तर्क दिया गया कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठा आरोप लगाया गया है तथा उन्हें इस मामलें में रंजिशन फंसाया गया है। वादीमुकदमा द्वारा घटना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र थाना या पुलिस अधीक्षक को नहीं दिया गया है, सीधे न्यायालय में आकर परिवाद प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्य में घोर विरोधाभास है, जिस कारण उनके साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। वादीमुकदमा द्वारा पाँच अभियुक्तगण द्वारा लात–घूसों व डण्डों से मारना बताया गया है, लेकिन मारपीट में वादीमुकदमा व उसकी माँ किसी भी प्रकार की चोट आना नहीं पाया गया है, जो सम्पूर्ण घटना को ही संदिग्ध बना देती है। इस मामलें की महत्वपूर्ण साक्षी/कथित मजरूबा वादीमुकदमा की माँ को भी परीक्षित नहीं कराया गया है। इस तरह से अभियोजन के किसी भी साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण आरोपित धाराओं में दोषमुक्त होने योग्य है।

16. प्रस्तुत मामलें में पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हमें यह निष्कर्ष निकालना है कि **क्या अभियुक्तगण कुलदीप, जयदीप, श्रीपाल एवं सोनेलाल यादव ने दिनांक 07.12.2017 को समय सायं 05.00 बजे परिवादी व उसकी माँ, जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, के घर में घुसकर जातिसूचक गालियां देते हुए लात–घूसों व डण्डों से मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी ?**

पी.डब्लू. 1 बबलू, जो परिवादी है, द्वारा कथन किया गया है कि मैं अनुसूचित जाति का धोबी हूं। मेरी पत्नी का नाम सुमन है। मेरी शादी को हुए सात वर्ष हो गये है। मेरी शादी बाबा सत्यनाथ, कुलदीप, जयदीप, शिवपाल और सोनेलाल ने करवायी थी। शादी के बाद बाबा सत्यनाथ ही विदा कराने चौथी में आये थे तथा मेरी पत्नी को साथ ले गये थे जब मैं अपनी सुमन को विदा कराने ससुराल गया तो देखा कि बाबा सत्यनाथ और मेरी पत्नी सुमन के बीच नाजायज संबंध है दोनो को रंगे हाथो पकड़ा और वापस अपने घर आ गया। बाबा सत्यनाथ सुमन को वापस मेरे घर रखने का दबाव मुझ पर बनाते रहे परन्तु मैंने सुमन को वापस अपने घर पर नहीं रखा इसी के चलते दिनांक 07.12.17 को शाम पांच बजे मैं अपनी बकरियों को सानी लगा रहा था तभी अचानक बाबा सत्यनाथ, शिवपाल, कुलदीप व जयदीप, सोनेलाल आये, आते ही मुझे सभी लोग गंदी–गंदी गाली देने लगे, मां बहन की गाली देते हुए बोले साले धुबेटे बहुत बड़ा नेता बना घूमता है और सभी लोग मुझे मारने लगे। मैं जान बचाकर घर के अन्दर भागा तो यह सभी लोग मेरे घर के अन्दर आकर मुझे मारने पीटने लगे। मेरी मां श्रीमती रामबेटी मुझे बचाने आयी तो सभी लोगो ने उन्हे भी मारा पीटा मोहल्ले के काफी लोग आ गये थे तब सब लोग जाते–जाते बोले कि अगर रिपोर्ट लिखाई तो जान से मार देगे।

इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि सुमन मेरी पत्नी है। मेरा व मेरी पत्नी का विवाद जे.एम. द्वितीय में चल रहा है। मेरे व मेरी पत्नी के सम्बन्ध अच्छे नहीं है। ये सभी लोग मेरी शादी के मझिया थे। बाबा सत्यनाथ को मै पूर्व से नहीं जानता था। बाबा के अलावा अन्य लोगों को जानता था। इन्हीं लोगों के विश्वास में शादी कर ली। सुमन मेरे घर पर लगभग दस दिन रही।

आगे कथन किया कि बाबा ने मेरे साथ मारपीट की थी। मारपीट में चोट आयी थी। डाक्टरी मैनें नहीं करायी थी। मेरी सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए मैनें अपनी डाक्टरी नहीं करायी थी। एक मुकदमा इसी घटना के सम्बन्ध में मेरा मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ चल रहा है। उसमें भी बाबा मुल्जिम है।

घटना के समय मै अपने दरवाजे पर सानी लगा रहा था। उस समय मै व मेरी माँ ही थी। मुल्जिमान लोग सीधे आये और गाली गलौज देने लगे व मारा पीटा।

मुल्जिम कुलदीप, जयदीप, श्रीपाल व सोनेलाल का सम्बन्ध मेरी शादी करवाने से नहीं है। इन चारों मुल्जिमानों का मुल्जिम सत्यनाथ से दोस्ताना है। इसी वजह से मैनें चारों मुल्जिमों का नाम मुकदमें में लिखा दिया है।

मेरी मुकदमें से पहले इन चारों मुल्जिमों से कोई रंजिश नहीं थी। इस घटना के बाद मेरी रंजिश हो गयी थी। झगड़ा आधा घण्टा हुआ था। मुझे व मेरी मम्मी रामबेटी को मारा पीटा। मै अपने चोटों की गिनती नहीं बता सकता। मम्मी के चार चोटें थी। मेरी व मेरी मम्मी की किसी भी चोट से खून नहीं निकला। जब मैनें मुकदमा किया था, तब मेरी मम्मी चल फिर रही थी। मैनें अपना व अपनी मम्मी की चोटों का परीक्षण नहीं कराया।

इस साक्षी के उपरोक्त बयानों से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त बाबा सत्यनाथ द्वारा इसका विवाह सुमन से कराया गया था। विवाह के पश्चात इसे इस बात का शक हुआ कि सत्यनाथ के सुमन के साथ अवैध सम्बन्ध है। जिस कारण इस साक्षी द्वारा अपना दूसरा विवाह कर लिया गया है और वर्तमान में अपनी पहली पत्नी सुमन के साथ मुकदमेंबाजी चल रही है, जिसमें अभियुक्त सत्यनाथ भी मुल्जिम है।

इस साक्षी के बयानों से यह भी स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण कुलदीप, जयदीप, श्रीपाल एवं सोनेलाल के सत्यनाथ से अच्छे सम्बन्ध है और इनका आपस में उठना–बैठना है। इसी कारण उनका नाम भी इस मुकदमें में वादी द्वारा अभियुक्त सत्यनाथ के साथ लिखाया गया है।

इस साक्षी का कथन है कि घटना वाले दिन उसे व उसकी मां श्रीमती रामबेटी के साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट कर चोटें पहुँचायी गयी थी, किन्तु इस साक्षी द्वारा अपनी माँ को न्यायालय में साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया और उसकी माँ जो इस मामलें में महत्वपूर्ण साक्षी है, को न प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा इस साक्षी द्वारा अपनी व अपनी माँ को घटना में आयी चोटों के सम्बन्ध में चिकित्सीय परीक्षण भी नहीं कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपने परिवाद पत्र व अपनी मुख्य परीक्षा में घटनास्थल पर साक्षीगण पी.डब्लू. 2 ऊधन सिंह व पी.डब्लू. 3 सर्वेश कुमार को उपस्थित होना नहीं बताया गया है। उसका मात्र इतना कथन है कि घटना के समय मोहल्ले के अनेक लोग इकट्ठा हो गये थे। जिन्हें देखकर अभियुक्तगण भाग गये थे। इसके अतिरिक्त इस साक्षी द्वारा अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी परीक्षित नहीं कराया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में यह नितान्त सम्भव है कि उसके द्वारा यह परिवाद अभियुक्तगण के विरूद्ध अपनी पत्नी सुमन से हुए विवाद से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के परिणामस्वरूप क्रोधवश संस्थित किया गया है। अतः इस साक्षी के बयानों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। जिस

कारण इस साक्षी के बयानों से अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

17. **पी.डब्लू. 2 ऊदन सिंह**, जो परिवादी का पड़ोसी एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, द्वारा कथन किया गया है कि मेरे घर के पास रहने वाला बबलू धोबी की शादी सत्यनाथ ने कराई थी। शादी में मैं भी गया था। शादी के बाद सत्यनाथ बबलू की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी सुमन से मिलने आया जाया करता था और आज से पांच साल पहले की बात है दिसम्बर का महीना था समय शाम पांच बजे का था मैं घर पर था बबलू धोबी अपनी बकरियों की सानी लगा रहा था। तभी सत्यनाथ, कुलदीप, जयदीप, श्रीपाल एवं सोनेलाल आये और आते ही बबलू को मां बहन की गन्दी गन्दी गालिया देने लगे और बोले साले धुबेटा आज तुझे सही कर देगे और उसे मारने दौड़े बबलू दौडकर घर के अन्दर घुस गया। सत्यनाथ के हाथ में तमंचा था तथा बाकी लोगो के हाथ में लाठी डंडे थे और बबलू को घर में घुसकर लात–घूसो से मारने लगे। मैं और मोहल्ले के जावेद व अन्य लोग बबलू को बचाने गये। बबलू की मां बबलू को बचाने दौडी तो बबलू की मां रामबेटी के साथ थी। सभी लोगो ने मारपीट की बड़ी मुश्किल से हम लोगों के आने पर पांचो लोगो ने बबलू को छोडा और जाते–जाते धमकी देते हुए गये अगर कोई लिखा–पढ़ी हम लोगों के खिलाफ पुलिस में की तो तुम्हे जान से मार देगे।

इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मैनें कई बार सत्यनाथ को बबलू के घर आते–जाते देखा था। बबलू ने मेरे सामने सत्यनाथ को कई बार अपने घर आने से मना किया था, लेकिन सत्यनाथ नहीं माने। आगे कथन किया कि घटना के समय बबलू पुत्र इसरार व इसरार अपने–अपने मकानों पर मौजूद थे। घटना के समय मेरे अलावा बबलू, इसरार, जावेद तथा मोहल्ले के काफी लोग थे। जिनके मै नाम नहीं बता सकता।

बबलू की पत्नी का नाम सुमन है। मुझे नाजायज सम्बन्धों की बात बबलू ने ही बतायी थी। नाजायज सम्बन्धों वाली बात मै बबलू के कहने पर नहीं बता रहा हूं। बल्कि मोहल्ले के और लोगों ने भी बताया था।

घटना की तारीख 18 थी, महीना दिसम्बर का था तथा सन् 2018 थी। घटना के समय मै सड़क पर था। इतना ध्यान नहीं है कि किस अभियुक्त के हाथ में क्या था, किसके हाथ में लाठी थी तथा किस अभियुक्त के हाथ में डण्डा था। किसी भी अभियुक्त ने लाठी–डण्डे से नहीं मारा था, लात–घूसों से मारा पीटा था। लात–घूसों से बबलू व बबलू की माँ रामबेटी को मारा था। रामबेटी अभी जिन्दा है तथा चलती फिरती है। मारपीट 15–20 मिनट तक हुई थी। बबलू तथा उसकी माँ के बन्द चोटें थी। अभियुक्त द्वारा मारपीट के दौरान बबलू बेहोश नहीं हुए थे। मैनें बचाया था।

इस साक्षी के बयानों से भी स्पष्ट होता है कि परिवादी बबलू का अपनी पत्नी सुमन से विवाद चल रहा है और परिवादी बबलू को इस बात का सन्देह है कि उसकी पत्नी के अवैध सम्बन्ध बाबा सत्यनाथ से है। परिवादी के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो चुका है कि अन्य अभियुक्तगण बाबा सत्यनाथ के मिलने–जुलने वाले है एवं उनसे उसका दोस्ताना है।

प्रस्तुत मामलें की घटना दिनांक 07.12.2017 की है, जबकि इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में घटना की तिथि 18.12.2018 बताई गयी है। जिस कारण इस साक्षी के बयानों में

तार्किक विरोधाभास उत्पन्न होता है। स्वयं परिवादी द्वारा भी अपने बयानों में घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्तियों में इस साक्षी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है।

ऐसी स्थिति में इस साक्षी के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है, जिस कारण इस साक्षी की उपस्थिति घटनास्थल पर संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः इस साक्षी के बयानों से भी अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

18. **पी.डब्लू 3 सर्वेश कुमार,** जो परिवादी का पड़ोसी एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, द्वारा कथन किया गया है कि बबलू की शादी हिन्दू रीति रिवाज से सुमन पुत्री उदयवीर के साथ सत्यनाथ ने कराई थी। मझिया सत्यनाथ थे। सुमन के पहले से ही नाजायज संबंध थे जो बाद में सत्यनाथ के साथ चली गयी थी। दिनांक 07.12.2017 को जब मैं बबलू के घर के सामने चाय के होटल पर बैठा था। समय करीब 5–5:30 बजे शाम का समय था बबलू अपनी बकरी को चारा डाल रहा था तभी सत्यनाथ, कुलदीप, जयदीप, सोनेलाल, श्रीपाल ने बबलू के साथ मारपीट जातिसूचक गाली गलौज शुरू कर दिया बबलू के विरोध करने पर यह लोग मारपीट करने लगे। बबलू जब घर में भागा तो घर में घुस गये तथा उसकी बूढ़ी मां के साथ भी लात–घूसे डंडो से मारपीट की। शोर मचाने पर मैं भी मौके पर अन्य लोगो के साथ पहुंचा तो अभियुक्तगण गाली गलौज करते हुए चले गये और कहा कि साले धुबैटा कही शिकायत की तो जान से मार देगे।

इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मेरा घर घटनास्थल से पचास मीटर की दूरी पर पूरब दिशा में है। दिनांक 07.12.2017 समय करीब सुबह छः–साढ़े छः बजे का था।

मैनें मारपीट नहीं देखी थी, ये गाली–गलौज देकर जा रहे थे। मैनें मुल्जिमानों को गाली देने से मना किया था। गाली गलौज लगभग पाँच मिनट तक हुआ था। मैनें होटल से दूध लिया फिर अपने घऱ चला गया था। मैनें बबलू के घऱवालों को मौके पर नहीं देखा था। बबलू के घऱ में छोटा भाई पप्पू है।

इस साक्षी के बयानों से स्पष्ट है कि इसके द्वारा घटना दिनांक 07.12.2017 सुबह छः–साढ़े छः बजे होने का कथन किया गया है। जबकि परिवादी द्वारा घटना दिनांक 07.12.2017 को शाम पाँच बजे घटित होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में इस साक्षी के बयानों में भी घटना के समय को लेकर तात्विक विरोधाभास है। परिवादी द्वारा भी इस साक्षी का नाम घटनास्थल पर उपस्थित होने वाले लोगों में नहीं लिया गया है। ऐसी स्थिति में इस साक्षी की भी घटनास्थल पर उपस्थिति संदिग्ध साबित होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षी द्वारा परिवादी से अच्छे सम्बन्ध होने के कारण ही इस मामलें में उसके पक्ष में गवाही दी गयी है। अतः इस साक्षी के बयानों से भी अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

अभियोजन का यह दायित्व है कि अपने मामलें को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, किन्तु इस मामलें में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तीनों तथ्य के साक्षीगण के बयानों में घटना के सम्बन्ध में गम्भीर प्रकृति का विरोधाभास है। वादी द्वारा अपने शरीर व अपनी माँ के शरीर पर आयी चोटों का कोई चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया है और न ही अपनी माँ रामबेटी को साक्षी के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य किसी मोहल्ले के व्यक्ति या परिवार के व्यक्ति को भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवादी को इस बात का सन्देह है कि अभियुक्त सत्यनाथ के अवैध सम्बन्ध उसकी पत्नी के साथ है। ऐसी स्थिति में यह नितान्त सम्भव है कि इसी नाराजगी के कारण उसके द्वारा उपरोक्त परिवाद न्यायालय में अभियुक्तगण के विरूद्ध संस्थित किया गया हो।

19. इस तरह से अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य का सम्यक अवलोकन करने के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण कुलदीप, जयदीप, श्रीपाल एवं सोनेलाल पर लगाए गए भा.दं.सं. की धारा 323/34, 452, 506 व धारा 3(1)(द) एस.सी./एस.टी. एक्ट के आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल नहीं हुआ है। अतः अभियुक्तगण सन्देह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी पाये जाते है। इस प्रकार अभियुक्तगण कुलदीप, जयदीप, श्रीपाल एवं सोनेलाल भा.दं.सं. की धारा 323/34, 452, 506 व धारा 3(1)(द) एस.सी./एस.टी. एक्ट के आरोपों के अन्तर्गत दोषमुक्त होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण कुलदीप, जयदीप, श्रीपाल एवं सोनेलाल को विशेष सत्र परीक्षण संख्या **14/2019**, थाना **मऊदरवाजा**, जिला **फर्रुखाबाद** के मामले में भा.दं.सं. की धारा 323/34, 452, 506 व धारा 3(1)(द) एस.सी./एस.टी. एक्ट के आरोपों में सन्देह का लाभ देते हुए **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण कुलदीप, जयदीप, श्रीपाल एवं सोनेलाल जमानत पर है। उनके बंधपत्र को निरस्त कर उनके प्रतिभुओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण कुलदीप, जयदीप, श्रीपाल एवं सोनेलाल धारा 437A दं०प्र०सं० के अनुपालन में प्रत्येक द्वारा मु० 50,000–50,000/– (पचास–पचास हजार रूपए) की दो–दो जमानतें तथा इतनी ही धनराशि का एक–एक बंधपत्र एक सप्ताह के भीतर दाखिल करें।

दिनांकः– **02.07.2026**

(**तरूण कुमार सिंह–I**)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः– **02.07.2026**

(**तरूण कुमार सिंह–I**)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।